अति–आवश्यक
स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

दिनाँकः– 7/2/18

क्रमांकः– एफएसएसए/2018/136

1. राज्य अभिहित अधिकारी एवं
   संयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0),
   मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
   जोन–राजस्थान
3. समस्त अभिहित अधिकारी एवं
   उप निदेशक,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान
4. समस्त अभिहित अधिकारी एवं
   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   राजस्थान।

विषयः– खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के बकाया/न्यायालय में लम्बित पीएफए (सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड) प्रकरणों की सूचना के सम्बंध में।

सन्दर्भः– निदेशालय का पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/158 दिनांक 08.02.2017 एवं 121 दिनांक 01.02.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों द्वारा **दिनांक 05.02.2018 तक आवश्यक रूप** से चाही गई सूचना आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः पीएफए एक्ट 1954 के अन्तर्गत लिये गये खाद्य नमूनों जो कि काफी समय से माननीय न्यायालय में लम्बित है एवं जिनकी प्रकृति गम्भीर नहीं है, उन्हे प्रत्याहारित किये जाने की कार्यवाही हेतु आपके जिले में **पीएफए के लम्बित प्रकरण जो कि विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं की नवीनतम स्थिति एवं उनकी पूर्ण पत्रावलियों की छायाप्रतियों सहित** आवश्यक रूप से तीन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों की पालना में वांछित सूचना से उन्हे अवगत कराया जा सके एवं लम्बित पीएफए प्रकरणों के निस्तारण/प्रत्याहारण किये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

पत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

07.2.18

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

दिनाँकः– 7/2/18

क्रमांकः– एफएसएसए/2018/136
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति0 निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
3. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) मुख्यालय।
4. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बंधित को ईमेल एवं विभागीय वेब साईट पर भी अपलोड करे।
6. रक्षित पत्रावली।

07.2.18

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर